भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4327
(19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पीएमएवाई-जी

4327. श्री परिमल शुक्ला बैद्यः

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य क्या हैं तथा असम के कछार जिले सहित राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों , विशेषकर कछार जिले जैसे दूरस्थ और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया गया है;

(ग) यदि हाँ , तो कार्यान्वयन की प्रगति , स्वीकृत और पूर्ण किए गए घरों की संख्या और कछार जिले सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में लंबित आवंटन या संवितरण में तेजी लाने की कोई योजना है और यदि हाँ , तो इसके लिए समय-सीमा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क): ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय 01 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का कार्यान्वयन कर रहा है ताकि पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के आवासों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण हेतु पीएमएवाई -जी को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। दिनांक 13.08.2025 तक, इस मंत्रालय द्वारा कुल 4.12 करोड़ आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 3.85 करोड़ आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं और 2.83 करोड़ आवास पूरे हो चुके हैं।

सभी पूर्वोत्तर राज्यों (असम राज्य को छोड़कर) के संबंध में मौजूदा एसईसीसी 2011 आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) और आवास+ 2018 सूची को वित्त वर्ष 2023-24 में संतृप्त कर लिया गया और असम राज्य की आवास+ 2018 सूची को मई 2025 में संतृप्त कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान , असम राज्य को 5,59,951 आवासो का लक्ष्य आवंटित किया गया है , जिसमें से 5,33,631 आवासों को मंजूरी दी गई है और राज्य द्वारा 1,54,347 आवास पूरे किए गए हैं। इसके अलावा, मणिपुर राज्य को वित्त वर्ष 2024-25 में विशेष परियोजना के तहत 7,000 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया था। असम के कछार जिले को 31,233 का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से

29,971 आवासों को मंजूरी दी गई है और वित्त वर्ष 2024-25 में 4,886 आवास पूरे हो गए हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि सभी पूर्वोत्तर राज्यों सहित प्रत्येक राज्य की जिलावार प्रगति https://rhreporting.nic.in/netiay/PhysicalProgressReport/PhysicalProgressRpt.aspx पर देखी जा सकती है।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई मानकर केंद्रीय सहायता सीधे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को जारी की जाती है। इसके पश्चात लाभार्थियों को यह राशि संबंधित राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जारी की जाती है। उपयोग की गई राशि से संबंधित जिला-स्तरीय आँकड़े, वित्तीय वर्षवार , कार्यक्रम की वेबसाइट "https://rhreporting.nic.in/netiay/FinancialProgressReport/Report_HighLevel_FinancialProgress.aspx" पर देखे जा सकते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के संबंध में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्य-वार जारी केंद्रीय राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2024-25 में जारी कुल केंद्रीय राशि (पीएम-जनमन सहित)
1	अरुणाचल प्रदेश	1.0
2	असम	4,336.24
3	मणिपुर	169.63
4	मेघालय	0
5	मिजोरम	12.94
6	नगालैंड	54.9
7	सिक्किम	0
8	त्रिपुरा	204.86
	कुल	**4,779.60**

(ख) और (ग): सभी पूर्वोत्तर राज्यों (असम राज्य को छोड़कर) के संबंध में मौजूदा एसईसीसी 2011 आधारित पीडब्ल्यूएल और आवास + 2018 सूची को वित्त वर्ष 2023-24 में संतृप्त कर दिया गया था और असम राज्य की आवास + 2018 सूची को मई 2025 माह में संतृप्त कर दिया गया है ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके और "सभी के लिए आवास" के विजन को साकार किया जा सके।

असम के कछार जिले सहित पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में संचयी वास्तविक प्रगति निम्नानुसार दी गई है,

क्र. सं.	राज्य	आवंटित लक्ष्य	स्वीकृत आवास	पूर्ण हो चुके आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591
2	असम	29,87,868	28,93,186	20,80,444
3	मणिपुर	1,08,550	1,01,549	56,715
4	मेघालय	1,88,034	1,85,763	1,50,409
5	मिजोरम	29,967	29,959	25,326
6	नगालैंड	48,830	48,744	36,239

7	सिक्किम	1,399	1,397	1,393
8	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,272	3,71,381
	कुल	**37,77,498**	**36,72,461**	**27,57,498**

ज़िला	**लक्ष्य**	**स्वीकृत आवास**	**पूर्ण हो चुके आवास**
कछार	1,50,834	1,47,882	1,00,456

कोविड-19 महामारी के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान , पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवास निर्माण सहित सभी निर्माण कार्यकलाप प्रभावित हुए थे। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में मुख्य चुनौतियों में राज्य के राजकोष से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में केंद्र और राज्य का अंश जारी होने में विलंब , लाभार्थियों की अनिच्छा, स्थायी प्रवास, मृतक लाभार्थियों के विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में देरी और कभी-कभी आम/विधानसभा/पंचायत चुनाव, निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता शामिल हैं।

(घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासो के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करने हेतु पीएमएवाई-जी को 5 और वर्षों (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) के लिए बढ़ाने करने को मंज़ूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों का उपयोग करते हुए आवास + सूची को अद्यतन करने को भी मंज़ूरी दे दी है। पीएमएवाई -जी के अंतर्गत अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की पहचान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ई-केवाईसी चेहरा-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके एक नया सर्वेक्षण अर्थात आवास+ 2024 सर्वेक्षण किया जा रहा है।

******